न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2020 **दिनांक 21.08.2020**

उनवान

1. धनराज बाई आयु 45 वर्ष पुत्री शिवशंकर पत्नि रमेश जाति नाई नि० मेरमा तालाब तह० अटरू हाल नि० लंका कॉलोनी चरी घाट रोड नारियल पुरी जी के मठ के पास बारां तह० व जिला बारां राज।

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र शिवशंकर उम्र वर्ष जाति नाई नि० मेरमा तालाब तह० अटरू जिला बारां राज०
2. श्रीमति गीताबाई पत्नि प्रेमचन्द उम्र वर्ष जाति नाई नि० मेरमा तालाब तह० अटरू जिला बारां राज।

अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर0टी0एक्ट

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

अप्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

—::निर्णय::— दिनांक 19/11/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय उक्त वाद पेश कर रखा है, जिसमें कामयाबी की पूरी—पूरी संभावना है। प्रार्थीया की ओर से पेश मूल वाद वर्तमान में विचारणीय है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2020 नियत है। ग्राम मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां राज० में हाल ख०न० 247 की रकबा 1.45 हैक्टर, ख0न0 376/1203 की रकबा 0.03 हैक्टर, खन 412 की रकबा 0.17 हैक्टर कुल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:02:38 IST
Reason: SelfAttested

किता तीन कुल रकबा 1.65 हैक्टर स्थित है। जो वादिया के पिता श्री शिवशंकर पुत्र श्री मन्नालाल जाति नाई नि० मेरमा तालाब तह० अटरू जिला बारां के खातेदारी में दर्ज थी। उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी व पैतृक सम्पति है, वादीया के पिता श्री शिवशंकर को वादीया के दादाजी श्री मन्नालाल जी से विरासतन प्राप्त हुयी थी। वादीया के पिता श्री शिवशंकर के वादीया व वादीया का भाई प्रतिवादी क० 1 श्री प्रेमचन्द ही वैध वारिस व उत्तराधिकारी है, उक्त वर्णित आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी क0 1 का हिन्दू कानून के अनुसार समान हिस्सा 1/2, 1/2 है इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में वादीया का पेदाइशी हक व वादीया हिस्सा 1/2 निहित है। क्योंकि वादीया के पिता श्री शिवशंकर व वादीया की माता का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वैध वारिस वादीया व प्रतिवादी क्र0 1 ही है। वादीया के पिता श्री शिवशंकर ने आराजीयात ख०न0 246 की रकबा 1.45 हैक्टर वाके ग्राम मेरमा तालाब तह० अटरू का बैचान गलत रुप से वादीया के भाई प्रेमचन्द प्रतिवादी क0 1 की पत्नी प्रतिवादीया क० 2 श्रीमति गीताबाई के पक्ष में कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया है। क्योंकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी व पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीया का ख०न० 246 की रकबा 1.45 हैक्टर में 1/3 हिस्सा निहित था, तथा वादीया के पिता शिवशंकर की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात में वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीया के पिता श्री शिवशंकर द्वारा वादीया के हिस्से की आराजी का भी गलत रूप से बेचान कर दिया है, इसलिये वादीया उक्त विक्रय पत्र को प्रभावशून्य व अवैध घोषित करवाकर आराजी ख0न० 247 की रकबा 1.45 हैक्टर, ख0न0 376/1203 की रकबा 0.03 हैक्टर ख0नं0 412 की रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता तीन कुल रकबा 1.65 हैक्टर का विभाजन करवाकर अपने हिस्से 1/2 का स्वयं को पृथक से खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की वैधानिक अधिकारी नालिशी है। उक्त वाद पत्र के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है। तथा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादी अप्रार्थी सरकारी योजनाओं का लगातार फायदा उठाकर प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तथा वर्तमान में भी वृहद परवन सिंचाई परियोजना में उक्त आराजी का अधिगृहण हो जाने से अप्रार्थी मुहावजा राशि गलत तरीके से माननीय न्यायालय में वाद विचारण होने के बावजूद प्राप्त करने पर तत्पर है। अप्रार्थी गलत आधारों

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

पर मुहावजा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी नही है । अगर अप्रार्थी को दौराने विचारण मुहावजा राशि प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन होने की पूरी–पूरी संभावना होगी। इसलिये प्रार्थीया के विधिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब उक्त वाद पत्र में अप्रार्थी को सरकारी योजनान्तर्गत वृहद सिचाई परियोजना के तहत अधिगृहण जमीन का मुहावजा राशि का भुगतान नही किया जाना न्यायोचित है। तथा साथ ही अविलम्ब विवादित आराजी की मौके की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में उचित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र को सुनवाई का श्रीमान श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी को अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये आराजी ग्राम मेरमातालाब तह० अटरू जिला बारां राज० में हाल ख0न0 247, की रकबा 1.45 हैक्टर, ख0न0 376/1203 की रकबा 0.03 हैक्टर ख०न 412 की रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता तीन कुल रकबा 1.65 हैक्टर पर वृहद सिंचाई परियोजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली मुहावजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को दौराने ताफैसला वाद तक नही करने के व प्रार्थीया के हिस्से को खुर्द–बुर्द व बैचान नही करने हेतु अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता श्रीमान उचित समझे प्रार्थीया को दिलाई जाने के आदेश प्रदान करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तरफ से जवाब प्रार्थना पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0 1 वर्णित वाद पेश करना एवं माननीय न्यायालय में मूल वाद विचारणीय होना स्वीकार है। शेष विवरण स्वीकार नहीं है प्रार्थना –पत्र की मद नं0 2 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नहीं है, क्योंकि ख0नं0 247 का रकबा 1.45 है0 आराजी अप्रार्थीया क्रम 2 गीता बाई के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है। प्रार्थिया बेईमान है जिसने पूर्व में 8 बीघा 3 बिस्वा जमीन बिकवाकर उसकी पूरी राशि हड़प कर ली है, अप्रार्थी क्रम 1 प्रेमचन्द ने अपनी बहिन प्रार्थिया को जमीन, मकान जेवरात दे दिये है लेकिन वह उनसे सन्तुष्ट नही है। प्रार्थना–पत्र का मद नं0 3 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नही है, क्योंकि प्रार्थीया ने उसके हिस्से की आराजी 8 बीघा 3 बिस्वा अपने पिताजी से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

बिकवाकर उसकी पूरी राशि प्रार्थीया हडप कर चुकी है। अप्रार्थीया क्रम 2 गीता बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा आराजी क्रय की है। जिसकी वह खातेदार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। प्रार्थीया द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार नही है अपितु प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विचारधार तथ्यों पर होने एवं चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है।

—::विशेष कथन::—

वाके ग्राम एवं माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की आराजी ख0नं0 247 का रकबा 1.45 है0 को अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा द्वरा क्रय की है जिसकी वह खातेदार है। और खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीया किसी प्रकार न्यायादेश जारी करा पाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीया का न तो किसी प्रकार से सुविधा का सन्तुलन है और नही न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया है। इस वजह से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र मन घडन्त एवं निराधार तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने के आशय से माननीय न्यायालय में पेश किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम मेरमातालाब के हाल ख0नं0 246 रकबा 1.45 है0 ख0नं0 376/1203 रकबा 0.03 है0 एवं ख0नं0 412 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 है0 भूमि शिवशंकर पुत्र मन्नालाल के खाते दर्ज थी प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम आपस में दौनों भाई बहिन है, उक्त भूमि पेत्रिक सम्पत्ति है। शिवशंकर द्वारा अपने जीवन काल में उक्त भूमि में से ख0नं0 246 रकबा 1.45 है0 भूमि का बैचान अप्रार्थी क्रम 2 गीताबाई पत्नि प्रेमचन्द को जर्ये रजिस्टर्ड बैचाननामें से कर दिया गया जिसका इन्तकाल खुलकर जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 खाता संख्या 47 पर दर्ज है। शेष भूमि खातेदार शिवशंकर के ख0नं0 376/1203 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 412 रकबा 0.17 है0 दर्ज है। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 16:02:38 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार नही किया जा सकता ''रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती'' ऐसे मामलों का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ख0नं0 246 रकबा 1.45 है0 भूमि अप्रार्थी क्रम 2 गीता बाई के खातेदारी में दर्ज होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 1 के पिता शिवशंकर के खाते में शेष रही भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होने से न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की ख0नं0 376/1203 रकबा 0.03 है0 व ख0नं0 412 का रकबा 0.17 है0, को हस्तान्तरण रहन बैचान खुर्द बुर्द न तो स्वयं करें, और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2020.12.02 15:02:38 IST
Reason: SelfAttested